



अशासकीय संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण-पत्र
अधिनियम की धारा 51 (5) नियम 22 (8)

कमांक-2045

दिनांक 2.11.2021

यह प्रमाणित किया जाता है, कि अशासकीय संस्था अनुभूति विजन सेवा संस्थान बीजी 63 स्कीम नं० 74 / सी जो जिला इंदौर मध्यप्रदेश में कार्यरत है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (2) के अधीन दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिनांक 17.12.2018 से पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 (5) के अधीन दिनांक 1 नवम्बर 2021 से संस्था के पंजीयन का नवीनीकरण आगामी 3 वर्ष के लिए बशर्त यदि अधिनियम की धारा 51 के तहत पंजीयन निरस्त न किया हो, प्रदान किया जाता है।

पंजीयन नवीनीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के 03 वर्ष के लिये वैध होगा। प्रमाण-पत्र नवीनीकरण के लिये वैधता अवधि अवसान होने के 60 दिवस पूर्व आवेदन करना होगा।

संयुक्त संचालक (सामाजिक न्याय)

वास्ते प्रामाणिक अधिकारी 2.11.21

कलेक्टर, इंदौर

जिला-इंदौर म0प्र0